



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169996

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8282/2026

यार मोहम्मद खान उर्फ ज़ैद खान

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अमन सिंह विसेन, सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., श्री निवास यादव

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्री निवास यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 561 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 69, 351(2) बी.एन.एस., थाना नैनी, जनपद प्रयागराज में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 25.5.2025 को घटित होना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 माह से अधिक समय पश्चात दिनांक 16.10.2025 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता बालिग लड़की है, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष है और वह एल.एल.बी. पाठ्यक्रम कर रही है। उसने आरोप लगाया है कि दिनांक 25.5.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक होटल में उसके साथ बलात्कार का अपराध किया गया। आगे प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने जैसा कि अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया है, कभी होटल में प्रवेश नहीं किया। विवेचना अधिकारी ने होटल के अभिलेख एकत्र किए, जिसमें यह पाया गया कि आवेदक तथा पीड़िता की बड़ी बहन होटल में गई थीं और होटल में जमा किए गए उनके आधार कार्ड को केस डायरी का भाग बनाया गया। पीड़िता ने आवेदक पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 25146 वर्ष 2025 में दिनांक 14.11.2025 के आदेश के माध्यम से आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, तथापि उक्त याचिका दिनांक 24.2.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई। पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया। अब इस प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कथन की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया।

5- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6- अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एससीसी 764 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :

“11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप-पत्र को तत्काल स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह उचित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से टिप्पणी की गई है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय के लिए अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करना आवश्यक है, न कि गिरफ्तारी का वारंट। यदि वह गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के अन्तर्गत अपेक्षित कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या उसे समन की सम्यक तामील किए जाने के प्रमाण के बावजूद वह उपस्थित होने से इनकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी के स्वरूप हैं।

12- जहां तक वर्तमान प्रकरण का संबंध है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत सामान्य सिद्धांतों का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियां सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, जो ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में हैं, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जिसकी विवेचना की अवधि के दौरान अभिरक्षा आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना, अपने आप में, उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसका आधार संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, तो केवल इस कारण कि आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारावास में डालना जमानत प्रदान करने के नियंत्रक सिद्धांतों के विपरीत होगा। इससे हम अधिक सहमत नहीं हो सकते।”

7- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

8- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **यार मोहम्मद खान @ जैद खान** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक सक्षम न्यायालय के समक्ष 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii)- आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

9- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला